

529

- (त) धारा 33 की उप धारा (3) के अधीन अभिरक्षा जिसमें ग्राम परिषद निधि रख सकेगा;
- (थ) धारा 36 की उप धारा (2) के अधीन रीति जिसमें कर तथा शुल्क निर्धारित तथा वसूली करेगा;
- (द) धारा 40 की उप धारा (1) के अधीन फार्म जिसमें मांग नोटिस भेजेगा;
- (ध) धारा 40 की उप धारा (2) के अधीन रीति जिसमें किसी मांग नोटिस देगा;
- (न) धारा 41 के अधीन फार्म जिसमें आय एवं व्यय के लेखा का रखरखाव करेगा;
- (प) धारा 42 की उप धारा (1) के अधीन ग्राम परिषद द्वारा बजट तैयार करने का समय तथा रीति;
- (फ) पद्धति जिसके तहत धारा 43 की उप धारा (1) के अधीन ग्राम परिषद की लेखा का लेखा परीक्षा की जानी है;
- (ब) धारा 43 की उप धारा (4) के तहत अधिभारित राशि की वसूली की पद्धति
- (भ) धारा 48 की उप धारा (3) के तहत ग्राम परिषद को हुए हानि की वसूली की पद्धति;
- (म) पद्धति जिसके तहत धारा 53 की उप धारा (3) के अधीन महिलाओं के लिए आरक्षित पदों को आवर्तित किया जाएगा;
- (य) धारा 63 की उप धारा (1) के तहत चीफ कैप्टेन अथवा उप चीफ कैप्टेन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखने की सूचना ;
- (र) धारा 67 की उप धारा (1) का खण्ड (छ) के तहत इसी तरह की अन्य शक्तियाँ और कार्य;
- (ल) द्वीप परिषद की बैठक का समय और स्थान और धारा 68 की उप धारा (1) के तहत ऐसे बैठकों के लिए प्रक्रिया;
- (व) पद्धति जिसके तहत धारा 68 की उप धारा (2) के अधीन द्वीप परिषद का कोई सदस्य चीफ कैप्टेन अथवा उप चीफ कैप्टेन को संकल्प और प्रश्न प्रस्तुत कर सकता है;
- (वक) नियंत्रण तथा पाबन्दी जिसके अनुसार द्वीप परिषद धारा 69 की उप धारा (1) के अधीन समिति नियुक्त कर सकती है;
- (वख) कारण जिसके कारण धारा 69 की उप धारा (2) के तहत समितियाँ विघटित की जा सकती हैं और पद्धति जिसके तहत समितियों का पुनर्गठन किया जा सकता है;
- (वग) अभिरक्षा जिसमें धारा 74 की उप धारा (3) के अधीन द्वीप परिषद निधि को रखा जा सकता है;
- (वघ) प्रक्रिया तथा सीमाएँ जिसके अनुसार धारा 75 की उप धारा (1) के अधीन कर, चूँगी, उपकर और शुल्क की उगाई की जा सकेंगी;
- (वङ.) धारा 75 की उप धारा (2) के अंतर्गत लागू किए जाने हेतु पथकर का मापमान, शुल्क अथवा दरें और शर्तें ;
- (वच) फार्म जिसमें धारा 79 की उप धारा (1) के अधीन मांग नोटिस भेजी जा सकती है;
- (वछ) पद्धति जिसके तहत धारा 79 की उप धारा (2) के अधीन मांग की नोटिस जारी की जा सकती है;
- (वज) धारा 79 की उप धारा (3) के अंतर्गत टक्स कर अथवा शुल्क अथवा अन्य किसी राशि की वसूली की पद्धति